



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-19072025-264802  
CG-DL-W-19072025-264802

साप्ताहिक/WEEKLY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 19—जुलाई 25, 2025 (आषाढ़ 28, 1947)  
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 19—JULY 25, 2025 (ASADHA 28, 1947)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .....	353	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	669	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) .....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	7	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	3985	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .....	2489
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस .....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं .....	1
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) .....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस .....	3561
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक .....	*

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

1-151 GI/2025

(353)

## CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	353	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	669	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	7	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	3985	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	2489
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .....	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .....	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	3561
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .....	*

\*Folios not received.

**भाग I—खण्ड 1**  
**[PART I—SECTION 1]**

**[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]**  
**[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]**

शिक्षा मंत्रालय  
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई 2025

सं. 9-13/2025-यू.3(ए)—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर उच्चतर शिक्षण संस्था को सम विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत क्रिस्टु जयंती, के. नारायणपुरा, कोठानूर पीओ, बेंगलुरु, कर्नाटक के नाम पर सामान्य श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय संस्था का दर्जा देने के लिए यूजीसी के पोर्टल पर बोधि निकेतन ट्रस्ट द्वारा दिनांक 31.10.2023 को एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया।

3. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 11.04.2025 के अपने पत्र संख्या 26-5/2023 (सीपीपी-1/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2023 के अनुसार इसकी विशेषज्ञ समिति द्वारा आवेदन की जांच की गई। विशेषज्ञ समिति ने पाया कि क्रिस्टु जयंती, बेंगलुरु, कर्नाटक के एनएएसी प्रत्यायन के दूसरे और तीसरे चक्र में अंतर है, इसलिए, समिति ने यूजीसी विनियम, 2023 के तहत सम विश्वविद्यालय संस्था का दर्जा देने की सिफारिश नहीं की।

4. और आगे जबकि, मंत्रालय ने दिनांक 03.06.2025 के पत्र के माध्यम से संस्था द्वारा पात्रता शर्तों को पूरा करने के संबंध में यूजीसी से कुछ स्पष्टीकरण का अनुरोध किया। उत्तर में, यूजीसी ने दिनांक 23.06.2025 के अपने पत्र संख्या 26-5/2023 (सीपीपी-1/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि एनएएसी प्रत्यायन के दो चक्रों के बीच अंतराल अवधि को एनएएसी द्वारा क्रिस्टु जयंती, बेंगलुरु, कर्नाटक के मामले में माफ कर दिया गया।

5. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए, एतद्वारा क्रिस्टु जयंती, के नारायणपुरा, कोठानूर पीओ, बेंगलुरु, कर्नाटक को सामान्य श्रेणी के तहत एक संस्था के रूप में घोषित करता है। उक्त घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:—

- i. क्रिस्टु जयंती, बेंगलुरु प्रासंगिक सांविधिक निकाय, जहां भी लागू हो, का अनुमोदन प्राप्त करने से पहले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश नहीं देगा।
- ii. यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना, सम विश्वविद्यालय/ या इसके घटक शिक्षण इकाइयों के संस्थान की परिसंपत्ति या निधि / राजस्व का अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।
- iii. क्रिस्टु जयंती, बेंगलुरु किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने की प्रकृति की हो।
- iv. क्रिस्टु जयंती, बेंगलुरु में संचालित किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित वैधानिक परिषदों / निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।
- v. क्रिस्टु जयंती, बेंगलुरु अपने पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बनाएगा।
- vi. क्रिस्टु जयंती, बेंगलुरु सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध प्रत्यायन के लिए मूल्यांकित कराने और संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध प्रत्यायन प्राप्त कराने के लिए जैसा भी मामला हो, समय-समय पर संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाएगा,
- vii. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और क्रिस्टु जयंती, बेंगलुरु द्वारा उनका पालन किया जाएगा।

- viii. क्रिस्टु जयंती, वेंगलुरु यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2023 के अनुसार यूजीसी को एमओए प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा, जब भी आवश्यक होगा, यह मौजूदा नियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने एमओए/नियमों को अद्यतित या संशोधित या संशोधित करेगा।
- ix. क्रिस्टु जयंती, वेंगलुरु यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।
- x. क्रिस्टु जयंती, वेंगलुरु इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।
- xi. क्रिस्टु जयंती, वेंगलुरु अनिवार्य रूप से अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एवीसी), अपने छात्रों की पहचान बनाएगा और उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि क्रेडिट स्कोर एवीसी पोर्टल में दिखाई दे

पूर्णेदु किशोर बतर्जी  
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION  
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 8th July 2025

No. 9-13/2025-U.3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, an online application dated 31.10.2023 was submitted by Bodhi Niketan Trust on UGC's Portal for grant of Institution Deemed to be University status under general Category in the name of Kristu Jayanti, K. Narayanapura, Kothanur P O, Bengaluru, Karnataka under Section 3 of the UGC Act, 1956.

3. And whereas, UGC, vide its letter No. 26-5/2023 (CPP-I/DU) dated 11.04.2025, informed that the application was examined by its Expert committee in accordance with the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023. The Expert Committee observed that there is a gap of 2nd and 3rd cycle of NAAC Accreditation of Kristu Jayanti, Bengaluru, Karnataka, hence, the Committee did not recommend for deemed to be University status under the UGC Regulations, 2023.

4. And further whereas, Ministry, vide letter dated 03.06.2025 requested certain clarification from UGC regarding fulfilment of eligibility conditions by the Institution. In response, UGC vide its letter No. 26-5/2023(CPP-I/DU) dated 23.06.2025 informed that the gap period between two cycles of NAAC accreditation was condoned by NAAC in case of Kristu Jayanti, Bengaluru, Karnataka.

5. Now, therefore, in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, considering the clarifications provided by UGC, hereby declares Kristu Jayanti, K. Narayanapura, Kothanur P O, Bengaluru, Karnataka as an Institution deemed to be University under general category. The said declaration is subject to the following conditions:

- i. Kristu Jayanti, Bengaluru shall not admit students in the professional courses before obtaining the approval of relevant statutory body, wherever applicable.
- ii. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.
- iii. Kristu Jayanti, Bengaluru shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.
- iv. The academic programmes to be offered at Kristu Jayanti, Bengaluru shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.
- v. Kristu Jayanti, Bengaluru shall align its courses with National Education Policy-2020.
- vi. Kristu Jayanti, Bengaluru shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
- vii. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by Kristu Jayanti, Bengaluru.
- viii. Kristu Jayanti, Bengaluru shall submit MoA in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 to UGC. Further, as and when necessary, it shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.
- ix. Kristu Jayanti, Bengaluru shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.
- x. Kristu Jayanti, Bengaluru shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.
- xi. Kristu Jayanti, Bengaluru shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.

PURNENDU KISHORE BANERJEE  
Joint Secretary